

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी तहसील
बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-697/2012

संस्थित दिनांक-30/09/2012

फाई.नं-234503000662012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन

विरुद्ध

रामप्रताप चौबे पिता मुन्नालाल उम्र 53 वर्ष,
जाति ब्राम्हण निवासी कांचघर लाल मिट्टी
जबलपुर थाना घमापुर जिला जबलपुर म.प्र.

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

—:दिनांक-30/11/2017 को घोषित:-

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 429 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-24/06/2012 को रात के 08:15 बजे, स्थान ग्राम जलगांव तालाब का मोड़ थाना परसवाड़ा अंतर्गत वाहन बस क्रमांक एम.पी.20/पी.ए.-0454 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित कर फरियादी अनिल कुमार के बैल को वाहन बस क्रमांक एम.पी.20/पी.ए.-0454 से टक्कर मारकर मृत्यु कारित कर रिष्टि कारित की।

2— प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 18.09.2014 को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता 429 के आरोप से दोषमुक्त हुआ है। भारतीय दण्ड संहिता 279 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-27/06/2012 को फरियादी अनिलकुमार ने पुलिस थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी कि महाकौशल बस क्रमांक एम.पी.20/पी.ए.-0454 का चालक तेज गति लापरवाहीपूर्वक वाहन को चलाकर फरियादी के बैल को टक्कर मार दी थी। जिससे फरियादी का बैल(गोरा) मर गया था। जिस पर पुलिस थाना परसवाड़ा द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी।

विवेचना में बैल का पी.एम. कराया गया था। फरियादी एवं गवाहों के कथन, मृत बैल का नुकसानी पंचनामा से घटना दिनांक 24.06.2012 को रात्रि करीब 08:15 बजे वाहन का चालक अभियुक्त रामप्रताप चौबे द्वारा अपराध करना पाये जाने से वाहन को जप्त कर, अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया था एवं जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया था। उक्त आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना परसवाड़ा ने अपराध क्रमांक-65/12 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

4- अभियुक्त पर तत्कालीन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

6- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-24/06/2012 को रात के 08:15 बजे, स्थान ग्राम जलगांव तालाब का मोड़ थाना परसवाड़ा अंतर्गत वाहन बस क्रमांक एम.पी.20/पी.ए.-0454 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न करित किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

7- अनिल अ.सा.01 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो वर्ष पूर्व की है। साक्षी के बैल का बस से एक्सीडेंट हो गया था। साक्षी का बैल दुर्घटना में खत्म हो गया था। बस को अभियुक्त चला रहा था। दुर्घटना अभियुक्त की गलती से हुई थी। साक्षी ने प्र.पी.01 का आवेदन देकर रिपोर्ट लिखायी थी जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने साक्षी के समक्ष मृत बैल का पंचनामा प्र.पी.04 एवं नुकसानी पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था। साक्षी के पुलिस ने बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह

स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं था, इसलिए वह यह नहीं बता सकता है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। साक्षी ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह मौके पर नहीं था।

8— मखन अ.सा.02 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को बैल का महाकौशल बस से एक्सीडेंट हो गया था। साक्षी को पता लगा था तो दूसरे दिन घटनास्थल पर जाकर साक्षी ने देखा था, बैल मरा पड़ा था। बैल अनिल का था। दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी साक्षी को इसकी जानकारी नहीं लगी थी। पुलिस ने मृत बैल का पंचनामा एवं नुकसानी पंचनामा प्र.पी.04 एवं प्र.पी.05 बनाया था। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो।

9— हरिप्रसाद बिसेन अ.सा.06 का कहना है कि घटना वर्ष 2012-13 की छः वर्ष पूर्व की जलगांव बांध के मोड़ की है। महाकौशल बस जबलपुर से बैहर की ओर आ रही थी उसने बैल का एक्सीडेंट कर दिया था। बस कैसे चल रही थी साक्षी को पता नहीं है। बस का नम्बर एवं बस चालक का नाम भी साक्षी को पता नहीं है। बस बैल का एक्सीडेंट कर खाई में घुस गयी थी। घटना रात्रि के आठ-साढ़े आठ बजे की है। रात्रि बारह बजे साक्षी के घर चार-पांच पैसेंजर और टिकिट काटने वाला आये थे, साक्षी से कहा था कि बस खाई में घुस गयी है बस को निकाल दो। साक्षी के पास ट्रेक्टर था। साक्षी ने बस को ट्रेक्टर से निकाला था। अनिल बैल के पास बैठा था और बोला था कि बैल उसका है। बस चालक और अनिल के बीच समझौता हुआ था। पुलिस ने साक्षी के बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं था उसने घटना होते हुए नहीं देखा था।

10— राकेश मोहने अ.सा.07 का कथन है कि उसके सामने घटना नहीं हुई थी। बस को कौन चला रहा था बस का नम्बर क्या था एवं बस कैसे चल रही थी साक्षी को पता नहीं है। पुलिस ने साक्षी के कथन लिये थे। रामसिंह अ.सा. 11 का कथन है कि घटना कब की है, कितने बजे की है उसे पता नहीं है। साक्षी महाकौशल बस में घटना दिनांक को नहीं आया था। बस के चालक ने

साक्षी के सामने घटना नहीं की थी। बस का नम्बर क्या था एवं अभियुक्त बस को कैसे चला रहा था साक्षी को पता नहीं है। पुलिस ने साक्षी के बयान नहीं लिये थे।

11— चुन्नीलाल अ.सा.04 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से तीन-चार वर्ष पूर्व की है। साक्षी उसके खेत पर जा रहा था तो साक्षी ने रास्ते पर अनिल का बैल मरा हुआ देखा था। किस बस से एक्सीडेंट हुआ था साक्षी ने नहीं देखा था। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

12— शंकरदयाल शर्मा अ.सा.08 का कहना है कि वह अभियुक्त को जानता है। अभियुक्त उनकी सोसायटी में बस का ड्रायवर है। साक्षी महाकौशल ट्रांसपोर्ट सहकारी मर्यादित जबलपुर का प्रबंधक संचालक है। दिनांक 24.06.2012 को बस क्रमांक एम.पी.20/पी.ए.-0454 को अभियुक्त चला रहा था। उक्त बस क्रमांक एम.पी.20/पी.ए.-0454 महाकौशल ट्रांसपोर्ट की है। साक्षी ने थाना प्रभारी परसवाड़ा को बस क्रमांक एम.पी.20/पी.ए.-0454 से दुर्घटना होने तथा बस का चालक अभियुक्त रामप्रताप चौबे होने की लिखित जानकारी दी थी जो प्र.पी.09 है जिसके ए से ए भाग पर सहायक प्रबंधक यू.के.श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर साक्षी का नाम दर्ज है।

13— महेश अ.सा.10 का कहना है कि उसने वाहन क्रमांक एम.पी.20/पी.ए.-0454 का मैकेनिकल परीक्षण किया था। वाहन का परीक्षण करने पर वाहन का इंजन, ब्रेक, गियर, क्लच, एक्सीलेटर, पेट्रोल पाईप, टायर, वाहन का हेडल सही अवस्था में पाया था। साक्षी द्वारा दी गयी मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.10 है जिस पर साक्षी ने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करने पर साक्षी ने वाहन पर कोई डेमेज या पिचका हुआ पार्ट कहीं भी नहीं पाया था। इस साक्षी ने वाहन में किसी प्रकार की क्षति होना नहीं बताया है।

14— येशुन्दलाल बाहेश्वर अ.सा.03 का कहना है कि उन्हें अपराध क्र. 65/12 की केस डायरी प्राप्त होने पर उक्त साक्षी ने दिनांक 28.06.2012 को घटनास्थल पर जाकर अनिल कुमार की निशांदाही पर प्र.पी.03 का मौकानक्शा बनाया था। मृत बैल का पंचनामा प्र.पी.04 एवं नुकसानी पंचनामा प्र.

पी.05 तैयार किया था जिस पर क्रमशः सी से सी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। परंतु पतिराम अ.सा.05 ने उसके सामने प्र.पी.04 का मृत बैल का पंचनामा एवं प्र.पी.05 का नुकसानी पंचनामा उसके सामने बनाने से इंकार किया है। येशुन्दलाल बाहेश्वर अ.सा.03 का यह भी कहना है कि उसने गवाह अनिलकुमार, पतिराम, मक्खन, मुनिया उर्फ चैनलाल, राकेश, हरिप्रसाद, रामसिंह के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 29.08.2012 को रामप्रताप चौबे से गवाहों के समक्ष एक बस क्रमांक एम.पी.20/पी.ए.-0454 महाकौशल ट्रांसपोर्ट की मय कागजात के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.07 बनाया था एवं अभियुक्त को गवाहों के समक्ष प्र.पी.08 के गिरफ्तारी पत्रक के द्वारा किया था। इस साक्षी ने प्रकरण में उसके अनुसंधान की पुष्टि की है।

15— राकेश जैन अ.सा.09 का कहना है कि उसके समक्ष पुलिस थाना परसवाड़ा ने अभियुक्त रामप्रताप चौबे के द्वारा पेश करने पर एक बस क्रमांक एम.पी.20/पी.ए.-0454 महाकौशल ट्रांसपोर्ट की मय दस्तावेजों के जप्त कर प्र.पी.07 का जप्ती पंचनामा बनाया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्तशुदा बस पर टूटफूट का कोई निशान नहीं था।

16— प्रश्नाधीन प्रकरण का अनिल अ.सा.01 फरियादी है। उक्त साक्षी घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। इस कारण अनिल अ.सा.01 की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है। मक्खन अ.सा.02 को यह पता नहीं है कि घटना किसकी गलती से हुई थी। मक्खन अ.सा.02 प्रकरण में पक्षविरोधी हो गया है। हरिप्रसाद अ.सा.06 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है वह घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। राकेश अ.सा.07 की साक्ष्य के अनुसार उसके सामने घटना नहीं हुई थी। चुन्नीलाल अ.सा.04 प्रकरण में पक्ष विरोधी हो गया है। प्रकरण के फरियादी एवं प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण ने प्रकरण में घटना का समर्थन नहीं किया है। इस कारण प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर बस क्रमांक एम.पी.-20/पी.ए.-0454 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया था।

17— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा

है अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावे।

19- प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

20- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन बस क्रमांक एम.पी.20/पी.ए.-0454 आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व

दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

तहसील बैहर जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

तहसील बैहर जिला-बालाघाट